

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-35

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

सौभाग्य योजना

***35. श्रीमती पूनमबेन माडम:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना "सौभाग्य" के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं और इस योजना के उद्देश्यों को हासिल करने हेतु सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता मुहैया कराई जा रही है;
- (ख) क्या सरकार ने इस योजना को पूरा करने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनके साथ इस योजना के तहत समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए हैं और उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने योजना के तहत अब प्रस्ताव/परियोजना रिपोर्टें भेजी हैं;
- (घ) क्या मंत्रालय ने डाक विभाग को चयनित राज्यों में उन घरों में जहां बिजली नहीं है, का सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) वर्ष 2018-19 के लिये "सौभाग्य" योजना हेतु बजटीय परिव्यय कितना है तथा प्रत्येक राज्य को आवंटित धनराशि कितनी है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"सौभाग्य योजना" के बारे में लोक सभा में दिनांक 19.07.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 35 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों को तथा शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब परिवारों को अंतिम छोर की कनेक्टिविटी तथा विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध कराकर सभी घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से 16,320 करोड़ रुपये के परिव्यय से, जिसमें भारत सरकार से 12,320 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) शामिल है, "प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य" की शुरुआत की है। सौभाग्य के तहत, भारत सरकार परियोजना लागत के 60% (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 85%) के लिए बजटीय सहायता उपलब्ध कराती है। 31 दिसंबर, 2018 तक सभी इच्छुक घरों के 100% घरों के विद्युतीकरण की उपलब्धि प्राप्त करने पर 15% की अतिरिक्त बजटीय सहायता (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 5%) उपलब्ध है। शेष सभी गैर-विद्युतीकृत घरों का मार्च, 2019 तक विद्युतीकरण किए जाने का लक्ष्य है।

(ग) : 24 राज्यों ने सौभाग्य के लिए "आशय-पत्र" प्रस्तुत कर दिए गए हैं। 19 राज्यों अर्थात: अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल ने विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) प्रस्तुत की हैं।

(घ) : विद्युत मंत्रालय ने पांच राज्यों अर्थात् असम, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में गैर-विद्युतीकृत घरों का सर्वेक्षण करने के लिए डाक विभाग से कहा है। सर्वेक्षण में उक्त राज्यों के 1,73,692 गांवों को शामिल किया गया है।

(ङ) : सौभाग्य के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के लिए विद्युतीकरण कार्यों के लिए जीबीएस के रूप में स्कीम के तहत 3,700 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें से 11.07.2018 तक 18 राज्यों को 1954.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) के माध्यम से लगभग 6373 करोड़ रुपये की राशि एकत्र करने की भी अनुमति दी है। निधियां संस्वीकृत परियोजनाओं के पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के आधार पर जारी की जाती है।

"सौभाग्य योजना" के बारे में लोक सभा में दिनांक 19.07.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 35 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ड) में उल्लिखित अनुबंध।

सौभाग्य के अंतर्गत जारी राज्य-वार निधियां

11.07.2018 तक की स्थिति के अनुसार
जारी की गई अनुदान राशि
(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	राज्य	
1	असम	162.68
2	अरुणाचल प्रदेश	-
3	बिहार	115.40
4	छत्तीसगढ़	155.28
5	हरियाणा	-
6	हिमाचल प्रदेश	0.82
7	जम्मू एवं कश्मीर	1.81
8	झारखण्ड	142.90
9	केरल	15.20
10	मध्य प्रदेश	336.98
11	महाराष्ट्र	15.17
12	मणिपुर	5.85
13	मेघालय	7.48
14	मिजोरम	1.77
15	नागालैण्ड	8.13
16	ओडिशा	76.36
17	पंजाब	-
18	राजस्थान	-
19	त्रिपुरा	17.64
20	उत्तर प्रदेश	864.01
21	उत्तराखण्ड	13.30
22	पश्चिम बंगाल	13.71
	कुल	1,954.50

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-39

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय विद्युत वितरण कंपनी

*39. श्री टी. राधकृष्णन:

श्री सुधीर गुप्ता:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की एक राष्ट्रीय विद्युत वितरण कंपनी की स्थापना करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इसकी स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार की उन विद्युत वितरण कंपनियों पर जुर्माना लगाने की भी योजना है जो देश में किसी भी क्षेत्र में लोड शेडिंग का कार्य करती हैं और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के प्रत्येक नागरिक को चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"राष्ट्रीय विद्युत वितरण कंपनी" के बारे में लोक सभा में दिनांक 19.07.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 39 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग) : हाल ही में, मंत्रालय में वितरण क्षेत्र में राष्ट्रीय कंपनी की स्थापना करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कुछ क्षेत्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई), जिसमें एनटीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड तथा पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड शामिल हैं, पहले से ही वितरण से संबंधित परियोजनाओं में प्रचालन में हैं। वितरण क्षेत्र के लिए समर्पित कंपनी की स्थापना किया जाना इसकी आवश्यकता संबंधी आकलन पर निर्भर करता है।

(घ) : राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति, 2016 के प्रस्तावित प्रारूप संशोधनों में समुचित आयोग द्वारा अनिवार्य बाध्यता की स्थितियों अथवा तकनीकी खामियों के अलावा अन्य बिजली की कटौतियों के लिए वितरण कंपनियों पर दंड लगाए जाने के प्रावधान को शामिल किया गया है। संशोधनों के प्रारूप पर अंतर-मंत्रालयी परामर्श किया जा रहा है।

(ड) : विद्युत समवर्ती सूची का एक विषय है; सभी घरों को विद्युत उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व प्रमुख रूप से संबंधित राज्य सरकारों/विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) का होता है। भारत सरकार ने सभी घरों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24X7 विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने तथा राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए राज्य विशिष्ट योजनाएं तैयार करने हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संयुक्त पहल की है। सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने 01 अप्रैल, 2019 से सभी को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए "सभी के लिए 24X7 विद्युत" दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) तथा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य सहित अपनी योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-232

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2018 को दिया जाना है।

एलईडी बल्ब निर्माण कंपनियों द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा मानकों का उल्लंघन

232. श्री अभिषेक सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में प्रकाश उपकरणों के विनिर्माण के लिए सरकार द्वारा कौन से नॉर्म्स और दिशानिर्देश तय किए गए हैं और उन नॉर्म्स और दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने पर किस प्रकार के दंड का प्रावधान है;
- (ख) क्या बहुत सी एलईडी विनिर्माण कंपनियां उपभोक्ता सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रही हैं; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 30 इलैक्ट्रॉनिक उत्पाद श्रेणियों के लिए भारतीय सुरक्षा मानकों को अनिवार्य बनाते हुए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अधिनियम, 1986 की "अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण स्कीम" के उपबंधों के अधीन 03 अक्टूबर, 2012 एवं 13 नवंबर, 2014 की अधिसूचना के द्वारा भारत के राजपत्र में "इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2012 (सीआरओ)" अधिसूचित किया है। चरण-II में, 11 मई, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से, तीन एलईडी उत्पादों को तत्काल प्रभाव से सीआरओ के अंतर्गत शामिल किए गए थे। चरण-III में, एलईडी के छः अन्य उत्पादों को सीआरओ के अंतर्गत शामिल किया गया, यह आदेश 23 मई, 2018 से प्रवर्तन में आ गया है।

सीआरओ के उपबंधों के अनुसार, लागू भारतीय सुरक्षा मानकों के अनुसार बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में जांच के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद भारत मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा पंजीकरण किया जाता है। तदनुसार, बीआईएस ने एलईडी बल्ब के बारे में निम्नलिखित भारतीय मानक प्रकाशित किए हैं:

- (i) इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2012 के अंतर्गत 13 नवंबर, 2014 को प्रकाशित आईएस 16102 (भाग 1 सुरक्षा आवश्यकताएं) "सामान्य प्रकाश व्यवस्था सेवाओं के लिए स्व-धारा स्थिरिक एलईडी लैम्प";
- (ii) आईएस 16102 (भाग 2 निष्पादन आवश्यकताएं) सामान्य प्रकाश व्यवस्था सेवाओं के लिए स्व-धारा स्थिरिक एलईडी लैम्प, जिसके लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने एलईडी बल्बों के लिए ऊर्जा निष्पादन मानक निर्धारित किए हैं, एलईडी बल्बों को लुमेन आउटपुट प्रति वाट में इसकी ऊर्जा निष्पादन के रूप में सर्वाधिक प्रभावशाली प्रकाश उत्पाद होने पर 1 से 5 स्टार के साथ रेट किया जा सकता है, और ये मानक 28 जून, 2018 से प्रवर्तन में आए हैं। इन मानकों में से किसी भी मानक का अनुपालन न होने पर एलईडी निर्माता/आयातक/व्यापारी व्यक्ति ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 26 के अंतर्गत दंडनीय होंगे।

गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों और अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण आदेश, 2014 के अंतर्गत विभिन्न प्रकाश उत्पादों के बारे में बीआईएस द्वारा अतिरिक्त भारतीय मानक प्रकाशित किए गए हैं जो **अनुबंध** में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) : सीआरओ के उपबंधों के अनुसार, बीआईएस द्वारा रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं और इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय बीआईएस द्वारा रजिस्ट्रीकृत अधिसूचित मालों की निगरानी करता है। किसी शिकायत अथवा निगरानी के दौरान अधिसूचित उत्पादों के बारे में कोई गैर-अनुपालना पाई जाती है तो मामलों को बीआईएस अधिनियम/नियमों के उपबंधों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बीआईएस को अग्रेषित किया जाता है। इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अभी तक, अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण स्कीम के अंतर्गत किए गए तीन रजिस्ट्रेशन जांच रिपोर्ट में सफल न होने के कारण बीआईएस द्वारा रद्द कर दिए गए।

लोक सभा में दिनांक 19.07.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 232 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

भारत सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों एवं अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण आदेशों के अंतर्गत विभिन्न प्रकाश उत्पादों पर प्रकाशित अतिरिक्त भारतीय मानकों की सूची

1. आईएस 418 टंगस्टन फिलामेंट सामान्य सेवा विद्युत लैम्प (100 वाट तक)।
2. आईएस 10322 (भाग 5/धारा 1) ल्यूमिनरीज भाग 5 विशेष आवश्यकताएं धारा 1 निर्धारित सामान्य प्रयोजन ल्यूमिनरीज।
3. आईएस 10322 (भाग 5/धारा 3) ल्यूमिनरीज - भाग 5: विशेष आवश्यकताएं धारा 3 सड़क एवं स्ट्रीट लाइटिंग के लिए ल्यूमिनरीज।
4. आईएस 10322 (भाग 5/धारा 5) ल्यूमिनरीज - भाग 5: विशेष आवश्यकताएं धारा 5 फ्लड लाइट्स।
5. आईएस 10322 (भाग 5/धारा 6) ल्यूमिनरीज - भाग 5: विशेष आवश्यकताएं धारा 6 हैम्प लैम्प्स।
6. आईएस 10322 (भाग 5/धारा 7) ल्यूमिनरीज - भाग 5: विशेष आवश्यकताएं धारा 7 लाइटिंग चैन।
7. आईएस 10322 (भाग 5/धारा 8) ल्यूमिनरीज - भाग 5: विशेष आवश्यकताएं धारा 8 इमरजेंसी लाइटिंग के लिए ल्यूमिनरीज।
8. आईएस 15111 (भाग 1) सामान्य प्रकाश सेवाओं के लिए स्व-धारा लैम्प भाग 1 सुरक्षा आवश्यकताएं।
9. आईएस 15111 (भाग 2) सामान्य प्रकाश सेवाओं के लिए स्व-धारा लैम्प भाग भाग 2 : निष्पादन आवश्यकताएं।
10. आईएस 15885 (भाग 2/धारा 13) लैम्प नियंत्रण गियर की सुरक्षा भाग 2 विशेष आवश्यकताएं धारा 13 डी.सी. अथवा ए.सी. एलईडी मॉड्यूलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण गियर की आपूर्ति की गई।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-244

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत उपलब्धता

244. श्री शिवकुमार उदासि:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विद्युतीकृत गांवों, नगरों और शहरों में प्रत्येक परिवार को विद्युत उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ख) गांवों, नगरों और शहरों में प्रतिदिन राज्य-वार प्रदान की जा रही विद्युत के औसत घंटे कितने हैं;
- (ग) गांवों, नगरों और शहरों में प्रतिदिन राज्य-वार प्रति परिवार औसत विद्युत खपत कितनी है; और
- (घ) सरकार द्वारा विगत दो वर्षों में गांवों, नगरों और शहरों में विद्युत की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : विद्युत समवर्ती सूची में है तथा उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन प्रदान करना राज्यों/डिस्कामों का उत्तरदायित्व होता है। तथापि, केंद्रीय सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आवश्यक अवसंरचना का सृजन करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार ने सभी घरों के विद्युतीकरण हेतु प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना- सौभाग्य आरंभ की है। इस स्कीम में सभी गरीब घरों तथा शहरी क्षेत्र में सभी गरीब गैर-विद्युतीकृत आवासों को विद्युत कनेक्शन और अंतिम छोर कनेक्टिविटी प्रदान करना शामिल है। सभी शेष गैर-विद्युतीकृत घरों का 31 मार्च, 2019 तक विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है। सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र 1 अप्रैल, 2019 से सभी घरों के लिए 24x7 घण्टे विद्युत की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ख) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में औसत विद्युत आपूर्ति घण्टे **अनुबंध-I** में दिये गये हैं।

(ग) : विद्युत मंत्रालय द्वारा गाँवों, नगरों और शहरों में प्रति घर औसत विद्युत खपत का रख-रखाव नहीं किया जाता है। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2016-17 के लिए भारत में कुल विद्युत खपत 1061182.64 गीगावाट घण्टा थी और प्रति व्यक्ति खपत 1122 के डब्ल्यूएच थी। राज्य-वार प्रति व्यक्ति खपत **अनुबंध-II** में दी गई है।

(घ) : भारत सरकार ने सभी घरों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने तथा राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संयुक्त पहल की है। सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने 01 अप्रैल, 2019 से सभी को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए " सभी के लिए 24x7 विद्युत" दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना(आईपीडीएस) तथा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य और उदय सहित अपनी योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों की सहायता करती है।

लोक सभा में दिनांक 19.07.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 244 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति की स्थिति

माह : मई, 2018

क्रम सं.	राज्य का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों को दिन में विद्युत आपूर्ति के औसत घंटे
1	आंध्र प्रदेश	23.05
2	अरुणाचल प्रदेश*	14.30
3	असम	19.00
4	बिहार	18.21
5	छत्तीसगढ़	23.00
6	गुजरात	24.00
7	हरियाणा	13.63
8	हिमाचल प्रदेश	24.00
9	जम्मू व कश्मीर	14.5
10	झारखंड	16.77
11	कर्नाटक	18.96
12	केरल*	23.00
13	मध्य प्रदेश	23.04
14	महाराष्ट्र*	23.32
15	मणिपुर	22.5
16	मेघालय	21.50
17	मिजोरम	10.00
18	नागालैंड	20.00
19	ओडिशा	19
20	पंजाब	24.00
21	राजस्थान	22.00
22	सिक्किम*	17
23	तमिलनाडु	24.00
24	तेलंगाना	24.00
25	त्रिपुरा	23.50
26	उत्तर प्रदेश*	17.85
27	उत्तराखंड	23.91
28	पश्चिम बंगाल	24.00

* अरुणाचल प्रदेश, जनवरी, 2018 माह के आंकड़े, सिक्किम, मार्च, 2018 माह के आंकड़े, उत्तर प्रदेश, फरवरी, 2018 के आंकड़े और केरल, महाराष्ट्र, अप्रैल, 2018 के आंकड़े शामिल किए गए हैं।

स्रोत:सीईए

लोक सभा में दिनांक 19.07.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 244 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विद्युत की वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत - राज्य-वार (यूटिलिटियां और गैर-यूटिलिटियां)	
2016-17	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रति व्यक्ति खपत (केडब्ल्यूएच)
चंडीगढ़	1128
दिल्ली	1574
हरियाणा	1975
हिमाचल प्रदेश	1340
जम्मू व कश्मीर	1282
पंजाब	2028
राजस्थान	1166
उत्तर प्रदेश	585
उत्तराखंड	1454
उत्तरी क्षेत्र	1003
छत्तीसगढ़	2016
गुजरात	2279
मध्य प्रदेश	989
महाराष्ट्र	1307
दमन व दीव	7965
दादरा नागर हवेली	15783
गोवा	2466
पश्चिमी क्षेत्र	1533
आंध्र प्रदेश	1319
तेलंगाना	1551
कर्नाटक	1367
केरल	763
तमिलनाडु	1847
पुडुचेरी	1784
लक्षद्वीप	633
दक्षिणी क्षेत्र	1432
बिहार	272
झारखंड	915
ओडिशा	1622
पश्चिम बंगाल	665
सिक्किम	806
अंडमान-निकोबार	370
पूर्वी क्षेत्र	695
अरुणाचल प्रदेश	648
असम	339
मणिपुर	326
मेघालय	832
मिजोरम	523
नागालैंड	345
त्रिपुरा	470
पूर्वोत्तर क्षेत्र	392
अखिल भारत	1122

स्रोत:सीईए

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-245

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2018 को दिया जाना है।

गांवों का विद्युतीकरण

245. श्री भैरों प्रसाद मिश्र:

श्री हरीश मीना:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश के 100% विद्युतीकरण के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गांव को विद्युतीकृत मानने के लिए सरकार द्वारा अपनाया गया मापदण्ड क्या है;
- (ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उक्त लक्ष्य को कब तक प्राप्त किया जाएगा;
- (घ) पांच सौ से अधिक जनसंख्या वाली ऐसी बसावटों की जिला-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है विशेषकर उत्तर प्रदेश में जिन्हें पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत अभी विद्युतीकृत किया जाना है; और
- (ङ) उक्त बसावटों को कब तक विद्युतीकृत किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 28 अप्रैल, 2018 तक, देश भर में सभी आबादी वाले जनगणना गांव विद्युतीकृत कर दिए गए थे।

ग्रामीण विद्युतीकरण नीति, 2006 के अनुसार किसी गाँव को विद्युतीकृत घोषित किया जाता है यदि:

- आधारभूत अवसंरचना जैसे वितरण ट्रांसफार्मर और वितरण लाइनें आबादी वाले स्थानों के साथ-साथ दलित बस्ती/वास स्थल, जहाँ वे विद्यमान हैं, में उपलब्ध करा दी गई हो,
- सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूलों, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्रों, औषधालयों, सामुदायिक केंद्रों आदि में विद्युत उपलब्ध करा दी जाती है तथा
- विद्युतीकृत घरों की संख्या गाँव में घरों की कुल संख्या की कम से कम 10% हो।

(घ) और (ङ) : भारत सरकार ने प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना "सौभाग्य" और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अनुपूरक के अंतर्गत 31 मार्च, 2019 तक उत्तर प्रदेश सहित देश भर में शेष सभी गैर-विद्युतीकृत घरों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-251

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2018 को दिया जाना है।

विद्युत पारेषण परियोजनाओं में भागीदारी से विदेशी कंपनियों को प्रतिबंधित करना

251. श्री बी. सेनगुट्टुवनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का विचार बढ़ती सुरक्षा चिन्ताओं के आधार पर विद्युत पारेषण परियोजनाओं में भागीदारी से चीन की विद्युत कंपनियों को प्रतिबंधित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या चीन विद्युतीय ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों की भागीदारी को प्रतिबंधित करता है जबकि भारत इस क्षेत्र में 100% एफडीआई स्वीकृत करता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार द्वारा कोई नीति निर्णय लिया गया है कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश न देने वाले देशों को भी इस क्षेत्र में भारत में प्रवेश से प्रतिबंधित किया जाए और देश में विद्युत पारेषण परियोजनाओं में निवेश हेतु अपात्र घोषित किया जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : बढ़ती सुरक्षा चिन्ताओं के आधार पर विद्युत पारेषण परियोजनाओं में भाग लेने से चीन की विद्युत कंपनियों को प्रतिबंधित करने के लिए मंत्रालय में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) : विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि चीन की सरकार के 7वें रिवीजन टू फॉरेन इवेस्टमेंट इंडस्ट्री कैटेगॉग, 2017, जो चीन की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेश को विनियमित करता है, के अनुसार ऊर्जा/विद्युत उत्पादन से संबंधित क्षेत्र में विदेशी निवेश को निषिद्ध नहीं करता है। विद्युत उत्पादन और आपूर्ति में निवेश को चीन की सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, यद्यपि, यह स्वामित्व जो विदेशी निवेशक धारण कर सकते हैं, के हिस्से से संबंधित ब्यौरा उपलब्ध नहीं करता। तथापि, "नाभिकीय विद्युत संयंत्र का निर्माण और प्रबंधन", "पावरग्रिड का निर्माण और प्रचालन", "चीन में प्रतिबंधित सूची का एक भाग है", जिसके अनुसार विदेशी निवेशक को चीन की कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम अनिवार्यतः करना होता है तथा अधिक शेयरधारिता चीन के भागीदार के पास होगी।

(ग) : ऐसे देश, जो विद्युत के क्षेत्र में पारस्परिक निवेश की पेशकश नहीं करते और देश में विद्युत पारेषण परियोजनाओं में निवेश हेतु उन्हें अपात्र घोषित करने के लिए उन देशों को अनुमति नहीं देने हेतु मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-265

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

तमिलनाडु में पनबिजली संयंत्र

265. डॉ. अंबुमनी रामादोस:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय की तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के होगेनाक्कल में एक पनबिजली संयंत्र प्रस्तावित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : तमिलनाडु में होगेनाक्कल (120 मेगावाट) [कावेरी बेसिन विद्युत परियोजनाओं नामतः होगेनाक्कल (120 मेगावाट) तथा रासिमनाल (360 मेगावाट) के साथ जुड़ी] की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तमिलनाडु विद्युत बोर्ड द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को प्रस्तुत की गई थी। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बीच अंतर-राज्यीय मुद्दों का समाधान करने के पश्चात पुनः प्रस्तुत करने के सुझाव के साथ फरवरी, 1997 में सीईए द्वारा इसे विकासकर्ता को लौटा दिया गया था। तत्पश्चात, विकासकर्ता ने सीईए में डीपीआर प्रस्तुत नहीं की है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-279

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

देश में विद्युतीकरण

279. श्री भरत सिंह:

श्री अजय मिश्रा टेनी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत चार वर्षों के दौरान देश में किस सीमा तक विद्युतीकरण किया गया है और इस पर राज्य-वार कुल कितना व्यय किया गया है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में किए गए विद्युतीकरण कार्य का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : संवितरित निधियों सहित संपूर्ण देश में पिछले 4 वर्षों के दौरान दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत आवासित जनगणना गांवों के विद्युतीकरण, विद्युतीकृत गांवों के गहन विद्युतीकरण, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) घरों को बिजली के निःशुल्क सर्विस कनेक्शन देने तथा सौभाग्य योजना के अंतर्गत घरों के विद्युतीकरण का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-1(क), 1(ख), 1(ग) तथा 1(घ) पर दिया गया है।

(ख) : उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पिछले 4 वर्षों के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 663 विद्युतीकृत गांवों में गहन का विद्युतीकरण कार्य पूरा किया जा चुका है और 20749 बीपीएल घरों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इसी प्रकार, योजना की शुरुआत के बाद अर्थात वर्ष 2017-18 के लिए सौभाग्य के अंतर्गत 24599 घरों को विद्युतीकृत कर दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 19.07.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 279 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले चार वर्षों के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत राज्य-वार गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण, गांवों का गहन विद्युतीकरण और बीपीएल घरों को निःशुल्क जारी किए विद्युत कनेक्शनों का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	गैर-विद्युतीकृत गांव	विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण	बीपीएल घरों को निःशुल्क जारी किए गए विद्युत कनेक्शन
1	आंध्र प्रदेश	-	14,822	7,42,462
2	अरुणाचल प्रदेश	1,310	146	6,092
3	असम	2,922	7,066	4,50,729
4	बिहार	2,983	26,311	28,44,550
5	छत्तीसगढ़	1,114	6,064	2,87,787
6	गुजरात	-	1,527	10,998
7	हरियाणा	-	207	62
8	हिमाचल प्रदेश	34	855	328
9	जम्मू व कश्मीर	76	58	6,490
10	झारखंड	2,628	7,725	2,50,470
11	कर्नाटक	39	5,660	1,98,289
12	केरल	-	1,830	1,45,410
13	मध्य प्रदेश	503	32,073	14,49,982
14	महाराष्ट्र	-	349	15,546
15	मणिपुर	465	745	43,433
16	मेघालय	943	58	3,702
17	मिजोरम	101	177	10,755
18	नागालैंड	88	248	14,503
19	ओडिशा	2,913	11,309	3,22,454
20	पंजाब	-	397	1,206
21	राजस्थान	497	20,642	2,95,643
22	सिक्किम	-	24	3,472
23	तमिलनाडु	-	1,679	23,489
24	तेलंगाना	-	-	25,265
25	त्रिपुरा	26	540	61,666
26	उत्तर प्रदेश	1,535	58,105	21,94,025
27	उत्तराखंड	65	1,562	1,617
28	पश्चिम बंगाल	22	6,723	72,855
	कुल	18,264	2,06,902	94,83,280

लोक सभा में दिनांक 19.07.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 279 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत घरों का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	81,949
2	असम	1,10,836
3	बिहार	4,49,016
4	छत्तीसगढ़	1,55,490
5	गुजरात	15,748
6	हरियाणा	3,497
7	हिमाचल प्रदेश	1,943
8	झारखंड	1,25,389
9	कर्नाटक	59,709
10	मध्य प्रदेश	11,49,748
11	महाराष्ट्र	1,82,896
12	मणिपुर	746
13	नागालैंड	473
14	ओडिशा	1,35,348
15	राजस्थान	2,12,555
16	तमिलनाडु	2,170
17	तेलंगाना	23,803
18	त्रिपुरा	1,882
19	उत्तर प्रदेश	11,33,002
20	उत्तराखंड	4,960
21	पश्चिम बंगाल	1,94,153
	कुल	40,45,313

अनुबंध-I(ग)

लोक सभा में दिनांक 19.07.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 279 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले चार वर्षों के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संवितरित अनुदान का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	संवितरित अनुदान राशि (करोड़ रुपए)
1	आंध्र प्रदेश	344.48
2	अरुणाचल प्रदेश	273.44
3	असम	1,451.63
4	बिहार	4,255.08
5	छत्तीसगढ़	1,051.71
6	गुजरात	324.00
7	हरियाणा	31.00
8	हिमाचल प्रदेश	28.35
9	जम्मू व कश्मीर	64.90
10	झारखंड	1,198.45
11	कर्नाटक	419.03
12	केरल	236.61
13	मध्य प्रदेश	1,815.64
14	महाराष्ट्र	443.08
15	मणिपुर	163.82
16	मेघालय	83.13
17	मिजोरम	74.65
18	नागालैंड	93.39
19	ओडिशा	1,974.85
20	पंजाब	15.17
21	राजस्थान	1,383.45
22	सिक्किम	17.93
23	तमिलनाडु	189.27
24	तेलंगाना	95.96
25	त्रिपुरा	236.85
26	उत्तर प्रदेश	7,781.38
27	उत्तराखंड	122.09
28	पश्चिम बंगाल	964.24
29	पुडुचेरी	1.20
30	अंडमान व निकोबार	1.26
	कुल	25,136.06

लोक सभा में दिनांक 19.07.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 279 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सौभाग्य के अंतर्गत संवितरित अनुदान का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	संवितरित अनुदान राशि (करोड़ रुपए)
1	असम	41.99
2	बिहार	115.40
3	छत्तीसगढ़	42.81
4	जम्मू व कश्मीर	1.81
5	झारखंड	69.71
6	केरल	15.20
7	मध्य प्रदेश	260.37
8	महाराष्ट्र	15.17
9	मणिपुर	5.85
10	नागालैंड	4.93
11	ओडिशा	76.36
12	उत्तर प्रदेश	864.01
13	उत्तराखंड	13.30
14	पश्चिम बंगाल	13.71
	कुल	1,540.63

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-286

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2018 को दिया जाना है।

विद्युत की मांग और आपूर्ति

286. श्री राजेश कुमार दिवाकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में विद्युत की मांग और आपूर्ति में अंतर है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या उपर्युक्त में से एक सहित विभिन्न राज्य विशेषकर गांवों और दूरदराज क्षेत्रों में विद्युत की कमी से प्रभावित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
- (ग) क्या उत्तर प्रदेश में देश की औसत की तुलना में विद्युत की मांग-आपूर्ति में सबसे अधिक अंतर है, यदि हां, तो क्षेत्र-वार विशेषकर हाथरस जिला में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (घ) देश में सबको विद्युत की आपूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। गांवों तथा सुदूर क्षेत्रों सहित अपने सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करना राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटीयों के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, विगत वर्ष 2017-18 और चालू वर्ष 2018-19 (जून, 2018 तक) के दौरान उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऊर्जा और व्यस्ततम

मांग के संबंध में विद्युत की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। देश में कुछ राज्यों में जहां अखिल भारत औसत मांग-आपूर्ति अंतर की तुलना में मांग-आपूर्ति का अंतर ज्यादा है।

विगत वर्ष (2017-18) के दौरान अखिल भारत औसत 2.0 प्रतिशत की तुलना में उत्तर प्रदेश की व्यस्ततम मांग-आपूर्ति का अंतर 10.9 प्रतिशत था। तथापि, वर्ष 2018-19 (जून, 2018 तक) के दौरान नवीनतम विद्युत आपूर्ति की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश की व्यस्ततम मांग-आपूर्ति का अंतर अखिल भारत औसत 0.7 प्रतिशत की तुलना में 2.1 प्रतिशत है। सीईए देश में विद्युत आपूर्ति स्थिति की निगरानी केवल राज्य स्तर पर करता है। सीईए द्वारा क्षेत्र-वार अथवा जिला-वार सूचना एकत्र नहीं की जाती है।

विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, मामले का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में, राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से विद्युत की उपयुक्त मात्रा का प्रबंध करना संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनमें से विद्युत का आबंटन करके और देश के विभिन्न भागों से राज्यों को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रिड प्रणाली का निर्माण एवं रख-रखाव करके राज्यों सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। दिनांक 30.06.2018 के अनुसार, केंद्रीय क्षेत्र से उत्तर प्रदेश को 7027 मेगावाट का आबंटन किया गया है जो कि देश में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच विद्युत का आबंटन सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त, देश में पर्याप्त विद्युत उपलब्ध है और राज्य इस कमी को पूरा करने के लिए पावर एक्सचेंजों सहित विभिन्न मार्केट तंत्र के माध्यम से विद्युत का क्रय कर सकते हैं।

भारत सरकार अपनी दो स्कीमों अर्थात् (1) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और (2) एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) के अंतर्गत डिस्कॉमों/विद्युत विभागों की वैद्युत अवसंरचना के संवर्द्धन और सुदृढीकरण के लिए निधियां प्रदान कर रही है। इसके अलावा, देश में सभी गैर-विद्युतीकृत परिवारों को दिसंबर, 2018 तक सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत सहायता के साथ विद्युत की पहुँच प्रदान करने का लक्ष्य किया गया है।

लोक सभा में दिनांक 19.07.2018 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 286 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2018-19, जून, 2018 तक, के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऊर्जा और व्यस्ततम मांग के संबंध में विद्युत की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा

2018-19 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति (अनंतिम)								
राज्य/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2018 - जून, 2018				अप्रैल, 2018 - जून, 2018			
	ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	आपूर्ति की गई ऊर्जा (एमयू)	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा (एमयू)	(%)	व्यस्ततम मांग (मेगावाट)	व्यस्ततम आपूर्ति (मेगावाट)	पूरी नहीं की गई मांग (मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	457	457	0	0	350	350	0	0
दिल्ली	9,889	9,881	8	0.1	6,937	6,934	3	0.0
हरियाणा	14,025	14,025	0	0.0	10,050	10,050	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	2,370	2,354	16	0.7	1,474	1,474	0	0.0
जम्मू व कश्मीर	4,838	3,873	966	20.0	2,945	2,356	589	20.0
पंजाब	14,320	14,307	13	0.1	12,422	12,102	320	2.6
राजस्थान	19,345	19,201	144	0.7	11,698	11,698	0	0.0
उत्तर प्रदेश	32,502	32,258	243	0.7	20,498	20,062	436	2.1
उत्तराखंड	3,670	3,626	44	1.2	2,134	2,134	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	101,417	99,983	1,434	1.4	58,280	57,795	485	0.8
छत्तीसगढ़	6,358	6,353	5	0.1	3,722	3,718	4	0.1
गुजरात	30,788	30,775	13	0.0	17,053	16,315	738	4.3
मध्य प्रदेश	16,633	16,633	0	0.0	8,764	8,745	19	0.2
महाराष्ट्र	42,183	42,181	2	0.0	23,395	23,254	141	0.6
दमन व दीव	665	665	0	0.0	351	351	0	0.0
दादरा नागर हवेली	1,597	1,597	0	0.0	778	778	0	0.0
गोवा	1,159	1,159	0	0.0	562	562	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	99,382	99,363	19	0.0	53,841	52,442	1,399	2.6
आंध्र प्रदेश	15,879	15,857	22	0.1	9,253	9,249	4	0.0
तेलंगाना	14,143	14,120	23	0.2	9,125	9,125	0	0.0
कर्नाटक	16,762	16,736	26	0.2	10,690	10,688	2	0.0
केरल	6,354	6,329	25	0.4	4,050	3,997	53	1.3
तमिलनाडु	28,999	28,960	39	0.1	14,981	14,981	0	0.0
पुडुचेरी	732	729	3	0.4	420	400	19	4.6
लक्षद्वीप#	12	12	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	82,868	82,732	137	0.2	45,946	45,684	262	0.6
बिहार	7,884	7,794	90	1.1	4,815	4,814	1	0.0
झारखण्ड	5,604	5,561	43	0.8	2,799	2,783	17	0.6
ओडिशा	2,117	2,076	41	1.9	1,284	1,284	0	0.0
पश्चिम बंगाल	13,876	13,803	73	0.5	8,906	8,899	7	0.1
सिक्किम	119	119	0	0.1	90	90	0	0.0
अंडमान-निकोबार#	87	81	6	7	58	54	4	7
पूर्वी क्षेत्र	37,833	37,575	258	0.7	21,320	21,275	45	0.2
अरुणाचल प्रदेश	205	202	3	1.5	138	133	5	3.6
असम	2,355	2,239	115	4.9	1,782	1,750	32	1.8
मणिपुर	199	196	3	1.6	193	186	7	3.6
मेघालय	420	420	0	0.0	371	368	2	0.7
मिजोरम	148	146	2	1.6	103	93	9	8.9
नागालैंड	219	194	25	11.5	156	129	26	17.0
त्रिपुरा	381	369	12	3.2	281	276	5	1.8
पूर्वोत्तर क्षेत्र	3,928	3,766	162	4.1	2,709	2,611	98	3.6
अखिल भारत	325,428	323,418	2,009	0.6	171,973	170,765	1,208	0.7

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह स्टैंड अलोन प्रणाली में हैं, इसलिए इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का भाग नहीं है।

* बांग्लादेश को आपूर्ति छोड़कर

वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऊर्जा और व्यस्ततम मांग के संबंध में विद्युत की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा

2017-18 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति									
राज्य/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम				
	अप्रैल, 2017 - मार्च, 2018				अप्रैल, 2017 - मार्च, 2018				
	ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	आपूर्ति की गई ऊर्जा (एमयू)	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा (एमयू) (%)		व्यस्ततम मांग (मेगावाट)	व्यस्ततम आपूर्ति (मेगावाट)	पूरी नहीं की गई मांग (मेगावाट) (%)		
चंडीगढ़	1,610	1,601	9	1	363	363	0	0	
दिल्ली	31,826	31,806	19	0.1	6,553	6,526	27	0.4	
हरियाणा	50,775	50,775	0	0.0	9,671	9,539	132	1.4	
हिमाचल प्रदेश	9,399	9,346	53	0.6	1,594	1,594	0	0.0	
जम्मू व कश्मीर	18,808	15,050	3,759	20.0	2,899	2,319	580	20.0	
पंजाब	54,812	54,812	0	0.0	11,705	11,705	0	0.0	
राजस्थान	71,194	70,603	591	0.8	11,722	11,564	158	1.3	
उत्तर प्रदेश	120,052	118,303	1,749	1.5	20,274	18,061	2,213	10.9	
उत्तराखंड	13,457	13,426	31	0.2	2,149	2,149	0	0.0	
उत्तरी क्षेत्र	371,934	365,723	6,211	1.7	60,749	58,448	2,301	3.8	
छत्तीसगढ़	25,916	25,832	84	0.3	4,169	3,887	282	6.8	
गुजरात	109,984	109,973	12	0.0	16,590	16,590	0	0.0	
मध्य प्रदेश	69,925	69,925	0	0.0	12,338	12,301	37	0.3	
महाराष्ट्र	149,761	149,531	230	0.2	22,542	22,494	48	0.2	
दमन व दीव	2,534	2,534	0	0.0	362	362	0	0.0	
दादरा नागर हवेली	6,168	6,168	0	0.0	790	790	0	0.0	
गोवा	4,117	4,117	0	0.0	559	558	1	0.2	
पश्चिमी क्षेत्र	368,405	368,080	326	0.1	50,477	50,085	392	0.8	
आंध्र प्रदेश	58,384	58,288	96	0.2	8,993	8,983	10	0.1	
तेलंगाना	60,319	60,235	83	0.1	10,298	10,284	14	0.1	
कर्नाटक	67,869	67,701	168	0.2	10,857	10,802	56	0.5	
केरल	25,002	24,917	85	0.3	3,892	3,870	22	0.6	
तमिलनाडु	106,006	105,839	166	0.2	15,001	14,975	26	0.2	
पुडुचेरी	2,668	2,661	7	0.3	390	387	3	0.7	
लक्षद्वीप#	47	47	0	0	9	9	0	0	
दक्षिणी क्षेत्र	320,248	319,642	606	0.2	47,385	47,210	175	0.4	
बिहार	27,019	26,603	417	1.5	4,521	4,515	6	0.1	
डीवीसी	21,549	21,373	176	0.8	2,896	2,896	0	0.0	
झारखंड	7,907	7,753	154	1.9	1,332	1,260	72	5.4	
ओडिशा	28,802	28,706	96	0.3	4,652	4,402	250	5.4	
पश्चिम बंगाल	50,760	50,569	191	0.4	8,137	8,114	23	0.3	
सिक्किम	485	484	0	0.1	96	96	0	0.0	
अंडमान-निकोबार#	328	299	29	9	58	54	4	7	
पूर्वी क्षेत्र	136,522	135,489	1,034	0.8	20,794	20,485	309	1.5	
अरुणाचल प्रदेश	799	788	10	1.3	145	145	0	0.3	
असम	9,094	8,779	315	3.5	1,822	1,745	77	4.2	
मणिपुर	874	827	46	5.3	202	195	7	3.2	
मेघालय	1,557	1,553	3	0.2	369	368	1	0.2	
मिजोरम	497	488	9	1.7	105	96	9	8.4	
नागालैंड	794	774	20	2.5	155	146	9	5.9	
त्रिपुरा	2,602	2,553	49	1.9	342	342	0	0.0	
पूर्वोत्तर क्षेत्र	16,216	15,763	453	2.8	2,629	2,520	109	4.1	
अखिल भारत	1,213,326	1,204,697	8,629	0.7	164,066	160,752	3,314	2.0	

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह स्टैंड अलोन प्रणाली में हैं, इसलिए इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का भाग नहीं है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-287

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2018 को दिया जाना है।

ट्रांसफार्मर को बदलना

287. श्री लक्ष्मण गिलुवा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के गांवों में स्थापित किए गए अधिकतर 10 किलोवाट एम्पीयर और 16 किलोवाट एम्पीयर के ट्रांसफार्मर जल गए हैं और उन्हें बदला नहीं गया है जिसके कारण उन गांवों में बिजली नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त जिलों के गांवों में जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार झारखण्ड के पश्चिम सिंहभूम जिले के विभिन्न गांवों में 10 केवीए और 16 केवीए के 1455 वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) जले हुए हैं और बदलने के लिए अभिचिन्हित हैं। इनमें से 10 केवीए तथा 16 केवीए के जले हुए 428 डीटी को 25 केवीए तथा 63 केवीए से पहले ही बदल दिया गया है। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत 10 केवीए और 16 केवीए डीटी को 25 केवीए के नए डीटी से बदलने की मंजूरी दी गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-290

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2018 को दिया जाना है।

संकटग्रस्त कोयला आधारित विद्युत संयंत्र

290. श्री के. अशोक कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या एनटीपीसी ने कार्यशील संकटग्रस्त कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के अधिग्रहण हेतु एक निविदा जारी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या इस समय में 40 जीडब्ल्यू संकटग्रस्त कोयला आधारित विद्युत सृजन क्षमता में से लगभग 50,000 करोड़ रुपये के 12 जीडब्ल्यू क्षमता वाले संयंत्र अप्रैल 1, 2014 के पश्चात् आरंभ किए हुए थे और वे इस निविदा के अंतर्गत अर्ह हैं; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : एनटीपीसी ने दिनांक 25.11.2017 को प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) आमंत्रित किए हैं, इस आरएफपी में विनिर्दिष्ट पात्रता को पूरा करने वाली इच्छुक पार्टियों अर्थात् विद्युत उत्पादन कंपनियों/स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों/विकासकर्ताओं के प्रवक्तों/ऋणदाताओं/प्राधिकृत वित्तीय मध्यवर्तीय संस्थाओं को भारत में अपने घरेलू कोयला आधारित ताप विद्युत परिसंपत्तियों के प्रचालन के लिए आमंत्रित किया है

आरएफपी में भागीदारी करने के लिए अन्य योग्यता संबंधी जरूरतें पूरी करने के अलावा 01.04.2014 और आरएफपी की अधिसूचना की तारीख के बीच वाणिज्यिक प्रचालन घोषणा (सीओडी) की तारीख वाली कोई भी विद्युत परिसंपत्ति पात्र होगी। 40 गीगावाट संकटग्रस्त क्षमता वाली परियोजना में से (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार), कुल 12690 मेगावाट की क्षमता वाली परियोजनाओं की सीओडी 01.04.2014 एवं एनटीपीसी द्वारा आरएफपी की अधिसूचना की तारीख के बीच है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-291

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2018 को दिया जाना है।

विद्युत के बकाया का समाधान

291. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश सरकार और तेलंगाना सरकार दोनों राज्यों के बीच 5,732 करोड़ रुपये के विद्युत बकाया के समाधान के मामले में तनातनी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि शीघ्र समाधान हेतु यह मामला राष्ट्रीय कंपनी लॉ अधिकरण को सौंपा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या केन्द्र सरकार राज्यों के मध्य मामले के शीघ्र समाधान हेतु हस्तक्षेप करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : जी हां। नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कारपोरेशन (एपीजेनको) द्वारा इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 की धारा 9 के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की हैदराबाद बेंच के समक्ष दो याचिकाएं दायर की हैं :

क्रम सं.	कंपनी याचिका सं.	प्रचालनात्मक नाम	लेनदार का नाम	कारपोरेट नाम	देनदार का नाम	शामिल राशि (करोड़ रु. में)
1	सीपी(आईबी)सं.57/9/एचडीबी /2018	आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कारपोरेशन (एपीजेनको)	पावर जनरेशन लिमिटेड	साउदर्न डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ तेलंगाना लिमिटेड	पावर कंपनी लिमिटेड	4,044.27
2	सीपी(आईबी)सं.58/9/एचडीबी /2018	आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कारपोरेशन (एपीजेनको)	पावर जनरेशन लिमिटेड	नार्दर्न डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ तेलंगाना लिमिटेड	पावर कंपनी लिमिटेड	1,688.13
कुल राशि						5,732.40

(ग) : चूंकि मामला एनसीएलटी में न्यायाधीन है इसलिए इस मामले में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-292

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

दूरवर्ती क्षेत्रों के गांवों का विद्युतीकरण

292. श्री रोड़मल नागर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित गांवों के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युतीकरण के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में अभी तक पूरे किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 28.04.2018 तक दूरदराज क्षेत्रों सहित आवासित सभी जनगणना गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है।

मध्य प्रदेश द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार, आफग्रिड कनेक्टिविटी के लिए 63 गांव थे, इनमें से 33 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है और 30 गांव गैर-आवासित पाए गए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-297

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

समाधान योजना

297. श्री गुत्था सुकेन्द्र रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार तरलीकरण को रोकने के लिए विद्युत संयंत्रों की संकटग्रस्त आस्तियों की प्रस्तावित बिक्री या अधिग्रहण के लिए समाधान योजना (आस्ति प्रबंधन और ऋण परिवर्तन संरचना योजना) बनाने की योजना बना रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या योजना को अंतिम रूप देने के लिए यह कार्य एसबीआई को सोपा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) समाधान योजना के अंतर्गत लाने के लिए चिन्हित किए गए विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या इस संबंध में ऊर्जा संयंत्रों के प्रोमोटर्स की सहमति ली गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : वित्तीय सेवाएं विभाग ने सूचित किया है कि विद्युत क्षेत्र में संकटग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु ऋणदाताओं के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा समाधान स्कीम तैयार की गई है। भारतीय स्टेट बैंक से यथा प्राप्त स्कीम का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ) : जैसा कि भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है, इस संबंध में उनके द्वारा अभिज्ञात किए गए अनुसार विद्युत संयंत्रों की सूची **अनुबंध-II** में दी गई है।

(ङ) : समाधान सहित कोई भी ऋण पुनर्गठन स्कीम भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 12 फरवरी, 2018 के संशोधित फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार की जाती है और यदि परिस्थितियों की मांग हो, तो स्वामित्व में परिवर्तन किया जाता है।

लोक सभा में दिनांक 19.07.2018 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 297 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

समाधान ऋणदाताओं द्वारा की गई एक पहल है। इसमें ऋण अदायगी अनुसूची में परिवर्तन सहित स्वामित्व में परिवर्तन शामिल रहता है। ऋणदाता भी परियोजनाओं में इक्विटी में हिस्सा रखते हैं क्योंकि भविष्य में अच्छा पहलू हो सकता है। विशिष्ट बैंक/वित्तीय संस्थाएं अपने विवेक से संकटग्रस्त विद्युत परियोजना के समाधान के उपाय के रूप में इस स्कीम का उपयोग कर सकती हैं:

इस स्कीम की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- ऋण पुनर्गठन स्कीम भारतीय स्टेट बैंक के संशोधित फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार की जाए।
- एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, मौजूदा प्रवर्तकों से परियोजना कंपनी में अपनी अंशधारिता कम करने के लिए कहा जाएगा।
- ऋणदाता मौजूदा ऋण में स्थायी एवं अस्थायी हिस्सा निर्धारित कर सकते हैं।
- ऋणदाता के द्वारा रखे गये अस्थायी हिस्से को इक्विटी/इक्विटी जैसे दस्तावेजों में परिवर्तित किया जाएगा।
- जब भी ऋणदाताओं को ऋणदाताओं एवं मौजूदा प्रवर्तकों के पास शेष कुछ इक्विटी शेयर का अच्छा प्रस्ताव मिलता है तो कंपनी का स्वामित्व नए निवेशक (कार्यनीतिक/वित्तीय निवेशक अथवा परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी) को दिया जा सकता है।
- परियोजना का प्रचालन विद्युत संयंत्रों के प्रचालन में अपेक्षित अनुभव एवं प्रत्यय पत्र रखने वाले प्रचालन एवं अनुरक्षण ठेकेदार (ओएमसी) को दिया जा सकता है।
- समाधान योजना (आरपी) स्वतंत्र साख मूल्यांकन (आईसीई) के लिए मान्यता प्राप्त रेटिंग एजेंसी को प्रस्तुत की जाएगी।
- नए निवेशक, जो 5 प्रतिशत तक इक्विटी खरीद सकते हैं, 3 वर्ष की निश्चित अवरुद्धता अवधि (लॉक इन पीरियड) के बाद, ऋणदाताओं के पूर्व अनुमोदन से अपनी इक्विटी अंशधारिता को बेच सकते हैं।
- स्थायी ऋण स्तरों और रेटिंग एजेंसियों से आरपी-4 रेटिंग के आधार पर, ऋणदाता यह निर्णय ले सकता है कि क्या यह स्कीम परियोजना की एकमुश्त बिक्री की तुलना में एक बेहतर विकल्प है (या तो एनसीएलटी के माध्यम अथवा बाहर से)।

लोक सभा में दिनांक 19.07.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 297 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

"समाधान" के अंतर्गत समाधान के लिए अभिचिन्हित 11 परियोजनाओं की सूची

क्रम सं.	परियोजना/कंपनी	क्षमता	अग्रणी संस्थान
1	अवंथा पावर (झबुआ)	600	एक्सिस बैंक
2	कोस्टल एनर्जी प्रा. लि.	1200	एसबीआई
3	आइडियल एनर्जी	270	केनरा बैंक
4	जेपी पावर वेंचर्स लि.	1820	आईसीआईसीआई बैंक
5	जिंदल इंडिया थर्मल पावर लि.	1200	पीएनबी
6	केएसके महानदी पावर कं. लि.	2400	पीएफसी
7	प्रयागराज पावर जेनरेशन कंपनी लि.	1980	एसबीआई
8	आरकेएम पावरजेन	1440	पीएफसी
9	एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लि.	600	एसबीआई
10	एस्सार महान	1200	आईसीआईसीआई
11	जीएमआर (छत्तीसगढ़) एनर्जी लि.	1370	एक्सिस बैंक

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-300

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2018 को दिया जाना है।

ताप विद्युत संयंत्रों हेतु पानी की कमी

300. श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शीतलन हेतु ताजे जल पर आश्रित देश के लगभग 90% ताप विद्युत संयंत्र पानी की कमी के कारण बिजली कटौती की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ताप विद्युत संयंत्र-वार और राज्य-वार, देश-वार देश में इस स्थिति हेतु क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में देश को प्रत्येक ताप विद्युत संयंत्र के बारे में विश्व संसाधन संस्थान के निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पानी की कमी के कारण ताप विद्युत उत्पादन के टेरावाट घंटों के नुकसान का कोई ब्यौरा है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के कुल विद्युत उत्पादन को कितना अवरुद्ध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या देश के लगभग 40% ताप विद्युत संयंत्रों में जल उपलब्धता की अत्यधिक कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) प्रत्येक ताप विद्युत संयंत्र में भविष्य में ऐसी स्थिति को रोकने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : जी, नहीं। देश में ताप विद्युत केंद्रों में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान जल की कमी के कारण हुई उत्पादन की हानि (राज्य-वार एवं इकाई-वार) का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ): वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने जनवरी, 2018 में प्रकाशित अपने एक वर्किंग पेपर में यह उल्लेख किया है कि भारत का ताप विद्युत क्षेत्र जल पर निर्भर है और जल की कमी का सामना कर रहा है। तथापि, नीचे दिया गया ब्यौरा दर्शाएगा कि जल की कमी के कारण हानि वास्तविक रूप से नगण्य है।

विगत तीन वर्षों अर्थात् 2015-16 से 2017-18 तक एवं चालू वर्ष 2018-19 (मई, 2018 तक) के दौरान केंद्रों द्वारा रिपोर्ट की गई जल की कमी के कारण ताप विद्युत उत्पादन की टेरावाट घंटों (टीडब्ल्यूएच) की हानि के ब्यौरे दिए गए हैं जो निम्नानुसार हैं:

वर्ष	जल की कमी के कारण	कुल उत्पादन के संबंध में जल की
------	-------------------	--------------------------------

	हानियां (टीडब्ल्यूएच)	कमी के कारण हानियों की प्रतिशतता
2015-16	1.00	0.08
2016-17	9.57	0.77
2017-18	4.21	0.32
2018-19 (मई, 2018 तक)	0.75	0.32

तथापि, जल की कमी के मद्देनजर आउटेज के कारण विद्युत उत्पादन की वृद्धि में समग्र कमी नहीं होगी क्योंकि देश में अन्य उत्पादन इकाईयों के माध्यम से उत्पादन की आवश्यकताएं पूरी होती हैं।

(ड) : जी, नहीं।

(च) : ताप विद्युत संयंत्रों में जल की खपत घटाने के लिए अपनाए जा रहे सुधारात्मक कदम/उपचारात्मक उपाय नीचे दिए गए हैं:

- I. **एश वाटर रीसर्कुलेशन सिस्टम** - एश पौंड से जल एकत्र किया जाता है और सिस्टम में पुनः प्रयोग किया जाता है।
- II. **ड्राई फ्लाइंग एश हैंडलिंग सिस्टम एंड हाई कंसंट्रेशन स्लरी डिस्पोज सिस्टम (एचसीएसडी)** - ये एश हैंडलिंग तकनीकें एश हैंडलिंग जल आवश्यकता को घटाती हैं जिससे जल की खपत कम होती है।
- III. **जीरो वाटर डिस्चार्ज सिस्टम** - संयंत्र में उत्पादित सारे अपशिष्ट जल को शोधित किया जाता है और जल खपत सिस्टम में पुनः चक्रण से जल की खपत को कम करता है।
- IV. **ऑपरेटिंग कूलिंग टावर्स एट हाइयर साइकल ऑफ कंसंट्रेशन (सीओसी)** - यह संयंत्र में उत्पादित अपशिष्ट जल को कम करता है। इसके अतिरिक्त, उत्पादित यह अपशिष्ट जल लो ग्रेड एप्लीकेशन जैसे एश हैंडलिंग, कोल डस्ट सप्रेसन तथा बागवानी आदि के लिए प्रयोग किया जाता है।
- V. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने मौजूदा तथा भावी ताप विद्युत संयंत्रों के लिए जल खपत की सीमा से संबंधित पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2015, दिनांक 07 दिसंबर, 2015 और पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018 को अधिसूचित किया है, जो निम्न है:
 - i. सभी मौजूदा वंस-थू-कूलिंग (ओटीसी) वाले संयंत्र कूलिंग टॉवर (सीटी) लगाएंगे और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के भीतर 3.5 मीटर³/मेगावाट प्रति घंटा के अधिकतम तक विशिष्ट जल खपत हासिल करेंगे।
 - ii. कूलिंग टॉवर (सीटी) आधारित सभी मौजूदा संयंत्र इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के भीतर 3.5 मीटर³/मेगावाट प्रति घंटा के अधिकतम तक की विशिष्ट जल खपत में कमी करेंगे।
 - iii. 01 जनवरी, 2017 के पश्चात् स्थापित किए जाने वाले नए संयंत्र 3.0 मीटर³/मेगावाट प्रति घंटा के अधिकतम तक विशिष्ट जल खपत को पूरा करेंगे तथा जीरो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज हासिल करेंगे।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त प्रावधान समुद्री पानी का उपयोग करते हुए ताप विद्युत संयंत्रों के लिए लागू नहीं है।

- VI. प्रशुल्क नीति, 2016, 50 किलोमीटर के दायरे के भीतर स्थित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा नगर निगमों/स्थानीय निकायों के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के शोधित सीवेज जल का प्रयोग करने को अधिदेशित करती है। सभी ताप विद्युत संयंत्रों को कूलिंग प्रयोजन के लिए, जहां तक संभव हो, एसटीपी जल का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

लोक सभा में दिनांक 19.07.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 300 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक पानी की कमी के कारण आउटेज

राज्य	स्टेशन	यूनिट	क्षमता (मेगावाट)	ट्रिप की तारीख	सिंक की तारीख	अवधि दिनों में
पंजाब	तलवंडी साबो टीपीपी	2	660	09-अप्रैल-17	17-अप्रैल-17	8
छत्तीसगढ़	नवापारा टीपीपी	1	300	19-मई-17	21-जून-17	33
छत्तीसगढ़	नवापारा टीपीपी	2	300	20-मई-17	24-जून-17	35
कर्नाटक	बेल्लारी टीपीएस	2	500	07-जून-17	13-सितं.-17	98
बिहार	मुजफ्फरपुर टीपीएस	3	195	11-अग.-17	14-अक्तू.-17	64
बिहार	मुजफ्फरपुर टीपीएस	2	110	28-अग.-17	07-सितं.-17	10
बिहार	मुजफ्फरपुर टीपीएस	1	110	03-नवं.-17	22-नवं.-17	19
बिहार	मुजफ्फरपुर टीपीएस	4	195	04-नवं.-17	23-दिसं.-17	49
बिहार	मुजफ्फरपुर टीपीएस	2	110	30-दिसं.-17	06-जन.-18	7
महाराष्ट्र	चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस	6	500	04-जन.-18	01-फर.-18	28
महाराष्ट्र	चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस	3	210	03-दिसं.-17	जारी	118
महाराष्ट्र	चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस	4	210	03-दिसं.-17	जारी	118
महाराष्ट्र	पारस टीपीएस	4	250	12-जन.-18	22-जन.-18	10
गुजरात	भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	1	250	07-फर.-18	15-फर.-18	8
गुजरात	भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	1	250	02-मार्च-18	26-मार्च-18	24

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-301

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2018 को दिया जाना है।

एनवीवीएन द्वारा बांग्लादेश को विद्युत आपूर्ति

301. डॉ. के. गोपाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या एनटीपीसी के अंग एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएन) बांग्लादेश को 15 वर्षों के लिए अनुमानित 3.42 रुपए प्रति इकाई प्रशुल्क पर 300 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति के लिए सबसे कम बोली लगाने वाले के रूप में उभरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या एनटीपीसी बांग्लादेश विद्युत विकास बोर्ड द्वारा आमंत्रित एक निविदा के अंतर्गत 300 मेगावाट आपूर्ति के लिए 900 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के राजस्व की आशा कर रहा है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएन) एनटीपीसी लि. के संपूर्ण स्वामित्व वाली एक पावर ट्रेडिंग कंपनी, 15 वर्षों के लिए बांग्लादेश को 300 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति के लिए सबसे न्यूनतम बोलीकर्ता के रूप में सामने आई है। प्रशुल्कों और प्रति वर्ष अनुमानित राजस्व के साथ विद्युत आपूर्ति की अवधि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

अवधि	प्रशुल्क	अनुमानित राजस्व/वर्ष
01.06.2018 से 31.12.2019 (लघु अवधि के अंतर्गत)	5.56 यूएस सेंट/केडब्ल्यूएच सेंट/केडब्ल्यूएच (3.805 रु./केडब्ल्यूएच*)	134 मिलियन अमेरिकी डॉलर (917 करोड़ रुपए*)
01.01.2020 से 31.05.2033 (दीर्घावधि के अंतर्गत)	7.79 यूएस सेंट/केडब्ल्यूएच (5.331 रु./केडब्ल्यूएच*)	184 मिलियन अमेरिकी डॉलर (1259 करोड़ रुपए*)

* 1 अमेरिकी डॉलर = 68.4403 रुपए (30.06.2018 की स्थिति के अनुसार डॉलर दर) पर विचार करते हुए।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-310

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

यूडीएवाई के अंतर्गत किए गए कार्य

310. श्री राम टहल चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड के रांची जिले में यूडीएवाई योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा क्रियान्वित कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त जिले में योजना के अंतर्गत कितने लोगों को लाभ मिला है; और

(ग) योजना के अंतर्गत इस जिले में कितने कार्य प्रस्तावित हैं और उन्हें कब तक पूरा किया जाएगा?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) एक परियोजना वित्तपोषण योजना नहीं है। यह योजना राज्यस्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्काम) के वित्तीय एवं प्रचालनात्मक पूर्णरूपेण परिवर्तन के लिए तैयार की गई है और शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य ब्याज के बोझ को कम करना, विद्युत की लागत कम करना, विद्युत क्षेत्र में विद्युत हानियों को कम करना तथा डिस्कामों की प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार करना है। झारखण्ड राज्य अपने डिस्काम के वित्तीय और प्रचालनात्मक पूर्णरूपेण परिवर्तन के लिए उदय में शामिल हो गया है।

झारखण्ड सरकार और इसके डिस्काम ने वित्तीय वर्ष 2018-19 तक डिस्काम के पूर्णरूपेण परिवर्तन की योजना बनाई है जिससे रांची जिले के उपभोक्ताओं सहित झारखण्ड के सभी विद्युत उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-317

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत का प्रावधान

317. श्री नारणभाई काछड़िया:

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:

श्री रामदास सी. तडस:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत 3 वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा सस्ती बिजली प्रदान करने, विशेष रूप से आम लोगों और औद्योगिक इकाइयों को वहनीय दरों पर बिजली प्रदान करने, हेतु क्या उपाय किए गए हैं और इसका क्या परिणाम रहा?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उपभोक्ताओं के सभी श्रेणियों को वहनीय दर पर विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण, संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत विनियामक आयोग और राज्य विद्युत यूटिलिटी (यूटिलिटी) के अधिकार क्षेत्र में आता है।

भारत सरकार आम लोग और औद्योगिक इकाइयों सहित सभी उपभोक्ताओं को विश्वसनीय एवं वहनीय विद्युत उपलब्ध कराने के लिए विद्युत क्षेत्र में सुधार करने के लिए विभिन्न उपायों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। विगत तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा किए गए उपाय अनुबंध में दिए गए हैं।

लोक सभा में दिनांक 19.07.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 317 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विद्युत अधिनियम, 2003 की अपेक्षाओं के अनुसरण में संघ सरकार द्वारा वहनीय मूल्य पर सभी उपभोक्ताओं को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान संघ सरकार द्वारा किए गए उपायों में शामिल हैं:

- i. डिस्कॉमों द्वारा विद्युत की खरीद में एकरूपता और पारदर्शिता लाने तथा विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए "दीप (डिस्कवरी ऑफ एफिसिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस) ई-बिडिंग पोर्टल" 12 अप्रैल, 2016 को शुरू किया गया।
- ii. सरकार ने 04 मई, 2016 को "विद्युत उत्पादन की लागत कम करने के लिए घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलापन लाना" अधिसूचित किया है। राज्य अपने कोयले का इस्तेमाल स्वयं के विद्युत केंद्रों से उत्पादन के लागत की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ती लागत पर किसी अन्य कुशल उत्पादन केंद्रों से समतुल्य विद्युत लेने के लिए कर सकते हैं। घरेलू कोयले का उपयोग करने में लचीलेपन की स्कीम के अंतर्गत अपने घरेलू कोयले के हस्तांतरण के द्वारा विद्युत के प्रापण के लिए राज्यों को स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के चयन हेतु ई-बिडिंग समाधान प्रदान करने के लिए 5 जुलाई, 2017 को एक ई-बिडिंग पोर्टल शुरू किया गया था।
- iii. वेब पोर्टल की शुरुआत 'मेरिट' मेरिट ऑर्डर डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर रिजुवनेशन ऑफ इनकम एंड ट्रांसपेरेंसी के नाम से 23 जून, 2017 को की गई थी। यह मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल पारदर्शी रूप से राज्यों द्वारा डिस्पैच किए गए उत्पादन के वास्तविक आंकड़े को प्रदर्शित करता है और राज्यों को उनके पावर परचेज पोर्टफोलियो में सुधार लाने के लिए अवसर प्रदान करता है।
- iv. वास्तविक समय आधार पर विद्युत विनियोगों में विद्युत उपलब्धता और अनुप्रयोग दरों को प्रदर्शित करने के लिए दिनांक 31 मार्च, 2016 को "विद्युत प्रवाह" नामक मोबाइल ऐप्लिकेशन आरंभ किया था।
- v. दिनांक 05.04.2018 को उत्सर्जन कम करने के लिए ताप विद्युत केंद्रों के उत्पादन और अनुसूची में लचीलापन प्रदान करने के लिए एक तंत्र जारी किया गया है। इस तंत्र के अंतर्गत ताप विद्युत केंद्र विद्यमान संविदात्मक प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आरई विद्युत का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे तंत्र उत्पन्न निवल लाभों को विद्युत केंद्र के उत्पादकों और लाभार्थियों के बीच बांटा जाएगा।
- vi. भारत सरकार ने दिनांक 17.05.2017 को भारत में पारदर्शी रूप से कोयले का प्रयोग करने और आबंटन करने के लिए शक्ति स्कीम अनुमोदित की थी। शक्ति पॉलिसी के प्रावधान ख(i) के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य उत्पादन कंपनियों ने कुल 8870 मेगावाट क्षमता की 10 परियोजनाओं के लिए अधिसूचित दर पर कोयला लिंकेज परियोजनाओं के लिए अधिसूचित दर पर कोयला लिंकेज की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, शक्ति पॉलिसी के प्रावधान ख(ii) के अंतर्गत कुल 11549 मेगावाट क्षमता की 10 परियोजनाओं को बिडिंग के आधार पर कोटेड प्रशुल्क पर छूट के लिए घरेलू

- कोयले पर आधारित पीपीएम के साथ स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) को कोयला लिंकेज की स्वीकृति दी गई है। विद्युत की लागत का लाभ उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा।
- vii. सरकार ने उत्पादकों के लोडिंग और अनलोडिंग, दोनों छोर पर कोयले के तृतीय पक्ष सैंपलिंग आरंभ किया है। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा आपूर्ति की गई कोयले की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। कोयले की गुणवत्ता में सुधार और संयंत्रों की दक्षता में सुधार होने के कारण, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा विशिष्ट कोयला खपत में कमी हुई है जिससे विद्युत उत्पादन की लागत में भी कमी हुई है।
- viii. विद्युत के दीर्घावधि प्रापण के लिए क्रमशः 03.08.2017 और 08.12.2017 को सोलर पीवी पावर संयंत्रों और विंड पावर संयंत्रों से विद्युत के प्रतिस्पर्द्धी प्रापण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिस्पर्द्धी बोली दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इन उपायों का उद्देश्य विद्युत की लागत को कम करना, विद्युत प्रापण में पारदर्शिता, दक्षता में बढ़ोत्तरी तथा अंतिम उपभोक्ताओं के लिए विद्युत की लागत को कम करना है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-342

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

सभी घरों को विद्युत की आपूर्ति

342. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

श्री कमल नाथ:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने हाल ही में यह स्वीकार किया कि देशभर में परिवारों और गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने कि उनकी जिम्मेदारी है और उन्हें बिजली प्रदान करने की गारंटी नहीं लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश भर में विद्युतीकरण की वास्तविक और कागजी स्थिति के बीच कई विसंगतियां हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केंद्र सरकार का विचार सभी परिवारों और गांवों को निरंतर आपूर्ति के साथ विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत संविधान में समवर्ती सूची में है। स्वतंत्रता के 68 वर्षों के पश्चात भी हजारों ऐसे गांव थे जहां बिजली नहीं पहुँची थी और इसलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि उन सभी गांवों, जिनमें अभी तक बिजली नहीं पहुँची थी, 15 अगस्त, 2015 से शुरू करके 1000 दिनों में बिजली उपलब्ध करा दी जाएगी। निधियां

60 प्रतिशत (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 85 प्रतिशत) अनुदान के रूप में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई। अनुदान के अतिरिक्त, 30 प्रतिशत ऋण (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 10 प्रतिशत) भी रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी), पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों (एफआई/बैंकों) द्वारा उपलब्ध कराया गया था। कार्य राज्यों के जरिए किया गया था। राज्य सरकारों ने गैर-विद्युतीकृत गांवों की सूची उपलब्ध कराई और जब उनका विद्युतीकरण हो गया, उस समय विद्युतीकरण की सूचना दी। निधियों के अतिरिक्त, भारत सरकार ने अपेक्षित अन्य अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध कराई। उदाहरण के तौर पर, जम्मू और कश्मीर तथा अरुणाचल प्रदेश में दुर्गम क्षेत्रों के लिए हेली लिफ्टिंग उपकरणों हेतु हेलीकॉप्टरों का प्रावधान, उपकरणों के प्रापण के लिए आरईसी के जरिए सहायता आदि।

भारत सरकार ने यह निर्णय भी लिया कि विद्युतीकरण का लाभ गांवों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि विद्युत की पहुँच अनिवार्यतः सभी घरों को उपलब्ध कराई जाए तथा इस प्रयोजन के लिए सौभाग्य योजना शुरू की। इस योजना के तहत, भारत सरकार समयबद्ध तरीके से प्रत्येक घर को बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनुदान के रूप में 60 प्रतिशत (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 85 प्रतिशत) तथा 15 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) राज्यों को निधियां देती है। योजना के अनुसार, लक्षित तारीख 31 मार्च, 2019 है, परंतु सरकार दिसंबर, 2018 तक कार्य पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। 11 अक्टूबर, 2017 को जब यह योजना शुरू की गई थी, उस समय राज्यों ने 3.60 करोड़ घर गैर-विद्युतीकृत सूचित किए थे। जैसे ही घर विद्युतीकृत कर दिए जाते हैं, राज्य अपनी प्रगति रिपोर्ट भेजते हैं और निर्धारित पोर्टल पर डाटा अपलोड भी करते हैं।

(ग) और (घ) : सभी गैर-विद्युतीकृत जनगणना गाँवों को निर्धारित समय-सीमा से पहले ही दिनांक 28.04.2018 को विद्युतीकृत कर दिया गया है। शेष सभी गैर-विद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण 31 मार्च, 2019 तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सभी पणधारकों की सूचना के लिए पोर्टल में राज्यों/डिस्कामों द्वारा घरों के आंकड़े एवं प्रगति को अद्यतन किया जाता है। जब भी कोई विसंगति की सूचना प्राप्त होती है, संबंधित राज्य उसकी जांच करते हैं और जहां आवश्यक होता है, उसका सुधार करते हैं।

(ङ) और (च) : भारत सरकार ने सभी घरों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत प्रदान करने और राज्य नीति के अनुसार, कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक संयुक्त पहल शुरू की है। 01 अप्रैल, 2019 से सभी को विद्युत प्रदान करने के लिए सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने "सभी के लिए 24x7 विद्युत" दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) और प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना- सौभाग्य सहित अपनी योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-358

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2018 को दिया जाना है।

गांवों का विद्युतीकरण

358. श्री बलका सुमन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना देश में ग्रामीण परिवारों की संख्या में अनियमितता दिखाई दे रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या मई 2017 के लक्ष्य से चूकने के पश्चात सभी गांवों के विद्युतीकरण की समय-सीमा को मई 2018 तक बढ़ा दिया गया है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को विद्युत उपलब्ध है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : गैर विद्युतीकृत घरों की प्रगति की निगरानी हेतु सौभाग्य योजना के तहत एक वेबपोर्टल विकसित किया गया है। सभी पणधारकों की सूचना हेतु पब्लिक डोमेन पर प्रचार-प्रसार के लिए संबंधित राज्य डिस्कामों द्वारा सीधे सौभाग्य पोर्टल में घरों के आंकड़े और प्रगति को अद्यतन किया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) में गांवों और बीपीएल घरों का विद्युतीकरण शामिल है तथा सौभाग्य सभी गैर-विद्युतीकृत घरों के लिए विद्युतीकरण से संबंधित है जो कि आंकड़ों के विभिन्न सेटों में हैं।

(ख) और (ग) : माननीय प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त, 2015 को राष्ट्र को अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रतिबद्धता की थी कि देश के शेष सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों को 1000 दिनों के भीतर अर्थात् 01 मई, 2018 तक विद्युतीकृत कर दिया जाएगा। सभी गैर-विद्युतीकृत आवासित जनगणना गांवों को 28.04.2018 तक अर्थात् निर्धारित समय सीमा से पहले ही विद्युतीकृत कर दिया गया है।

घरों के विद्युतीकरण के संबंध में उल्लेखनीय है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश में 16.78 करोड़ ग्रामीण घर थे जिनमें से 9.28 करोड़ (55 प्रतिशत) ग्रामीण घर विद्युतीकृत थे। सौभाग्य पोर्टल पर राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई नवीनतम जानकारी के आधार पर देश में 17.73 करोड़ ग्रामीण घर हैं जिनमें से 11.07.2018 तक 15.22 करोड़ (85.84 प्रतिशत) घर विद्युतीकृत हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-400

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2018 को दिया जाना है।

इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रों संबंधी नीति

400. श्री ओम बिरला:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के विकास के लिए कोई समेकित नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की वृद्धि को बढ़ावा देने की कोई पहल की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट को स्वीकृत कर दिया है जिसने इसे भविष्य के लिए तैयार करने हेतु देश में बैटरियों के लिए वाणिज्यिक विनिर्माण संघ, सामान्य अवयव और प्लेटफॉर्म की स्थापना की सिफारिश की थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत चालित वाहनों/स्वच्छ मोबिलिटी सोल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग को नोडल एजेंसी के रूप में नामजद किया गया है। सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) और (घ) : विद्युत चालित वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के संबंध में, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 13.04.2018 को स्पष्टीकरण जारी किया है कि विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत चार्जिंग स्टेशनों के जरिए विद्युत चालित वाहनों के बैटरियों की चार्जिंग के लिए लाइसेंस अपेक्षित नहीं है। तदनुसार, देश में कोई भी व्यक्ति/निकाय चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है।

(ङ) : विद्युत चालित वाहनों/स्वच्छ मोबिलिटी सोल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग को नोडल एजेंसी के रूप में नामजद किया गया है। सूचना एकत्र की जा रही है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-404

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2018 को दिया जाना है।

विद्युत आपूर्तिकर्ता बदलने का विकल्प

404. श्री ए. अरुणमणिदेवन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या दूरसंचार सेवाओं की तरह, उपभोक्ता विद्युत आपूर्तिकर्ताओं को भी बदल सकेंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक में विद्युत वितरण नेटवर्क व्यापार तथा विद्युत आपूर्ति व्यापार को अलग करने का प्रावधान है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, आपूर्ति के अपने क्षेत्र में सक्षम, समन्वित एवं किफायती वितरण प्रणाली विकसित करने और उसका रख-रखाव करने एवं अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विद्युत आपूर्ति करना वितरण लाइसेंसी का कर्तव्य है। भारत सरकार ने विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014, जिसे लोक सभा के समक्ष 19.12.2014 को प्रस्तुत किया गया था, के माध्यम से विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है, जिसमें कैरिएज (एक वितरण नेटवर्क) को एक विनियामक क्रियाकलाप के रूप में बनाए रखकर कंटेंट (विद्युत प्रदाय कारोबार) में मल्टीपल सप्लाई लाइसेंसी की शुरुआत करके वितरण क्षेत्र में कैरिएज एंड कंटेंट का पृथक्करण शामिल है।

कैरिएज एंड कंटेंट का पृथक्करण करके साझा नेटवर्क के साथ वितरण क्षेत्र में मल्टीपल सप्लाई लाइसेंसी की शुरुआत करने की संकल्पना का प्रस्ताव विद्युत आपूर्तिकर्ताओं का चयन करने में उपभोक्ताओं को विकल्प देकर वितरण क्षेत्र में और प्रतिस्पर्धा एवं दक्षता लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 को जांच के लिए ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था। स्थायी समिति ने 07 मई, 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों और राज्य सरकारों सहित पणधारकों के जांच परामर्श के आधार पर संशोधन तैयार किए गए हैं। प्रस्तावित संशोधनों को सदन में लाए जाने से पहले सभी पणधारकों को उनकी अंतिम टिप्पणियों के लिए पुनःपरिचालित किया जाएगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-419

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

तमिलनाडु और अन्य राज्यों के बीच विद्युत ग्रिड कनेक्टिविटी

419. श्री आर. के. भारती मोहन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दक्षिणी ग्रिड और अन्य क्षेत्रों के ग्रिड के बीच की विद्युत ग्रिड कनेक्टिविटी तमिलनाडु और अन्य राज्यों के बीच के विद्युत ट्रांजिट को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा तमिलनाडु और अन्य राज्यों के बीच विद्युत ग्रिड कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में ग्रीन कॉरिडोर ग्रिड को तेज करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : दक्षिणी ग्रिड और अन्य क्षेत्रों के विद्युत ग्रिडों के बीच कनेक्टिविटी तमिलनाडु और अन्य राज्यों के बीच विद्युत पारेषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ग) : दक्षिण क्षेत्र (एसआर) 220 केवी, 400 केवी, 765 केवी लेवल पर विभिन्न अंतर्क्षेत्रीय एसी लिंकों तथा एचवीडीसी लिंक के माध्यम से उत्तर-पूर्व-पश्चिम क्षेत्र (एनईडब्ल्यूआर) के साथ जुड़ा हुआ है। नई पारेषण लाइनों के चालू होने के साथ, मुख्य एनईडब्ल्यूआर-एसआर कॉरिडोर के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ग्रिड कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ बनाया गया है। एसआर और एनईडब्ल्यूआर के बीच अंतर्क्षेत्रीय लिंकों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

सितंबर, 2017 से डे अहैड मार्केट (पावर एक्सचेंजों) में कोई असंकुलता सूचित नहीं की गई है।

(घ) : हरित ऊर्जा कॉरीडोर (जीईसी) की आयोजना तमिलनाडु सहित आठ नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन संपन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के एकीकरण को सुविधाजनक बनाए जाने की आयोजना की गई है। इसमें अंतःराज्य और अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणालियों का सुदृढीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों (आरईएमसी) की स्थापना करना शामिल है।

पावरग्रिड द्वारा अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली और आरईएमसी का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना में लगभग 3200 सर्किट किलोमीटर लाइन और कुल 18,000 एमवीए के 6 उप केंद्रों को मई, 2019 तक पूरा किया जाना शामिल है। पारेषण प्रणाली का भाग शुरू किया गया है और शेष पारेषण स्कीम कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। अंतःराज्यीय पारेषण प्रणाली को संबंधित राज्य पारेषण यूटिलिटियों (एसटीयू) के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण/विद्युत मंत्रालय द्वारा जीईसी के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों की प्रगति की नियमित निगरानी की जाती है।

लोक सभा में दिनांक 19.07.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 419 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अंतर्क्षेत्रीय पारेषण लिंक और क्षमता (मेगावाट)		
क्रम सं.		वर्तमान क्षमता (मेगावाट)
1.	बालीमेला-अपर सिलेरू 220 केवी एस/सी	130
2.	गजुवाका एचवीडीसी बैक-टू-बैक	1000
3.	तालचर-कोलार एचवीडीसी बायपोल	2500
4.	अंगुल-श्रीकाकुलम 765 केवी डी/सी	4200
5.	चंद्रपुर एचवीडीसी बैक-टू-बैक	1000
6.	कोल्हापुर-बेलगॉम 220 केवी डी/सी	260
7.	पोंडा-नागाझारी 220 केवी डी/सी	260
8.	रायचूर-सोलापुर 765 केवी एस/सी लाइन (पीजी)	2100
9.	रायचूर-सोलापुर 765 केवी एस/सी लाइन (निजी क्षेत्र)	2100
10.	नरेंद्र-कोल्हापुर 765 केवी डी/सी (400 केवी पर प्रभारित)	2200
11.	वर्धा-निजामाबाद 765 केवी डी/सी लाइन	4200
	कुल	19,950

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-424

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2018 को दिया जाना है।

अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता के लिए विदेशी बाजार

424. डॉ. के. गोपाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का देश के अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता के लिए विदेशी बाजारों का पता लगाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार इस प्रयोजन के लिए श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों की ओर देख रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने इन राष्ट्रों के साथ विद्युत आपूर्ति अनुबंध करने के लिए कदम उठाए हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : दिनांक 30.06.2018 की स्थिति के अनुसार, संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 344 गीगावाट (जीडब्ल्यू) है जो कि चालू वर्ष 2018-19 (जून, 2018 तक) के दौरान लगभग 170 गीगावाट की व्यस्ततम मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। देश में विद्युत संयंत्रों की अखिल भारत संस्थापित क्षमता मांग से अधिक है, इसलिए इसमें पड़ोसी देशों को विद्युत निर्यात करने की संभावनाएं हैं।

(ख) से (घ) : भारत और अन्य देशों के बीच विद्युत का सीमा पार व्यापार दो सरकारों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू)/विद्युत व्यापार करार के अधीन होता है। ऐसी विद्युत के सीमा पार व्यापार को समन्वित करने के लिए संयुक्त संचालन समिति (जेएससी)/संयुक्त कार्यकारी दल (जेडब्ल्यूसी) का गठन किया गया है।

वर्तमान में, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार को विद्युत का निर्यात कर रहा है। विद्युत का निर्यात एवं इसे बढ़ाने की योजना का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- i. **भारत-बांग्लादेश:** भारत वर्तमान में बांग्लादेश को लगभग 660 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति कर रहा है और अतिरिक्त पारेषण लिंकों के पूरा होने के पश्चात् यह बढ़कर 840 मेगावाट हो जाएगी।
- ii. **भारत-नेपाल:** भारत वर्तमान में नेपाल को लगभग 490 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति कर रहा है और 400 केवी पर 132 केवी डी/सी ढलकेबार-मुजफ्फरपुर लाइन के प्रचालन के साथ प्रचालन से यह 300 मेगावाट - 400 मेगावाट और बढ़ जाएगी।
- iii. **भारत-म्यांमार:** भारत मणिपुर (भारत) में मोरेह से म्यांमार में टोमू नगर को 11 केवी पारेषण लाइन के जरिए मणिपुर (भारत) से म्यांमार को लगभग 2-3 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति कर रहा है।
- iv. वर्तमान में विद्युत श्रीलंका के साथ कोई क्रॉस बॉर्डर इंटरकनेक्शन नहीं है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-436

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन हेतु लक्ष्य

436. श्री विजय कुमार हांसदाकः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विद्युत उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) कम विद्युत उत्पादन के लिए जिम्मेदार समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि अर्थात 2012-13 से 2016-17 के दौरान विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य लगभग हासिल कर लिए गए थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन 5243.5 बिलियन (बीयू) यूनिट के लक्ष्य की तुलना में 5195.8 बीयू था जो 99.1 प्रतिशत की उपलब्धि दर्शाता है। यह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा दैनिक आधार पर उत्पादन की उचित निगरानी रखने के कारण तथा विद्युत संयंत्रों को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के कारण संभव हुआ।

12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 25 मेगावाट और उससे अधिक के परंपरापगत स्रोतों (थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर) के उत्पादन लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 19.07.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 436 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष	विद्युत उत्पादन		
	लक्ष्य (बीयू)	वास्तविक (बीयू)	लक्ष्य का %
2012-13	930	912.1	98.1
2013-14	975	967.2	99.2
2014-15	1023	1048.6	102.5
2015-16	1137.5	1107.8	97.4
2016-17	1178	1160.1	98.5
कुल	5243.5	5195.8	99.1

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-442

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2018 को दिया जाना है।

विद्युत संयंत्रों में कोयले की कमी

442. श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या वर्तमान समय में देश के विभिन्न विद्युत संयंत्रों, विशेष रूप से बदरपुर, झज्जर एवं दादरी विद्युत संयंत्रों में कोयले की कमी है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या देश के कई राज्यों में, विशेष रूप से दिल्ली में, कोयले की कमी के कारण विद्युत संकट की संभावना का अनुमान लगाया गया है; और
- (घ) यदि हां, तो इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : 12.07.2018 की स्थिति के अनुसार दैनिक आधार पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में निगरानी किए गए 117 विद्युत संयंत्रों पर उपलब्ध कुल कोयला स्टॉक 15.2 मिलियन टन (एमटी) था जो औसतन 10 दिनों के लिए विद्युत संयंत्रों को चलाने के लिए पर्याप्त है। 12.7.2018 की स्थिति के अनुसार बदरपुर, झज्जर और दादरी थर्मल पावर संयंत्रों के लिए उपलब्ध कोयला स्टॉक की स्थिति अनुबंध में दी गई है।

(ग) और (घ) : जैसा कि केप्टिव माइन सहित घरेलू कोयला कंपनियों द्वारा विद्युत क्षेत्र के लिए कोयले की आपूर्ति में बढ़ोतरी वर्तमान वर्ष 2018-19 (मई, 2018 तक) के दौरान 16% के आसपास रही है, विद्युत संयंत्र देश में विद्युत की मांग को पूरा करने और कोयले के स्टॉक 19.10.2017 की स्थिति के अनुसार 7.26 एमटी से सुधारकर 12.07.2018 की स्थिति के अनुसार 15.2 एमटी करने में भी सक्षम रहे हैं। इस प्रकार वर्तमान में देश में विद्युत संकट का कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया गया है।

विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति और कोयले के स्टॉक की स्थिति की निगरानी विद्युत मंत्रालय (एमओपी), कोयला मंत्रालय (एमओसी), रेल मंत्रालय (एमओआर) में उच्च स्तर पर नियमित रूप से की जाती है। सचिव (विद्युत मंत्रालय), सचिव (कोयला मंत्रालय) और सदस्य (ट्रेफिक) रेल मंत्रालय कोयले की आपूर्ति स्थिति की निगरानी करते हैं। माननीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भी कोयले की आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा बैठक करते हैं। अंतर मंत्रालयी उपसमूह जिसमें कोयला मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सीईए, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और सिंगरोनी कोयला कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) साप्ताहिक आधार पर कोयले आपूर्ति की स्थिति की निगरानी करता है। इस बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर सीआईएल/एससीसीएल उन विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति और रैकों की पर्याप्त संख्या में आपूर्ति में वृद्धि करते हैं, जिनमें कम कोयले का स्टॉक होता है।

लोक सभा में दिनांक 19.07.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 442 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

12.07.2018 की स्थिति के अनुसार, बदरपुर, झज्जर और दादरी ताप विद्युत संयंत्रों में दैनिक कोयला आवश्यकता और उपलब्ध कोयला स्टॉक

संयंत्र का नाम	दैनिक आवश्यकता (‘000 टन में)	स्टॉक (‘000 टन में)	स्टॉक (दिनों में)
बदरपुर	6.05	22.79	4
झज्जर	12.87	89.3	7
दादरी	19.46	46.98	2

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-452

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2018 को दिया जाना है।

जलविद्युत परियोजना के लिए नई योजना

452. श्री भरत सिंह:

श्री अजय मिश्रा टैनी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कोई नई योजना आरंभ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह योजना कब तक तैयार की जाएगी;

(ग) क्या उक्त योजना से बिजली की कमी को पूरा किया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजना कब तक आरंभ की जाएगी?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : वर्तमान में सरकार का देश में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कोई नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) : उपरोक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।
